

प्रेस नोट

थाना बार जनपद ललितपुर

एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी व बरामदगी 01 अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज 12 बोर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर व क्षेत्राधिकारी तालबेहट महोदय द्वारा जनपद/थाना क्षेत्र में शातिर अपराधियों की धर पकड़ गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष बार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा शातिर अपराधी की धर पकड़ गिरफ्तारी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में थाना से टीम रवाना थी दिनांक 28.10.2020 को शाम समय करीब 17.25 बजे टीम द्वारा अभियुक्त सुखसिंह पुत्र स्व.भैयालाल उम करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम धनगौल थाना बार जनपद ललितपुर को गिरफ्तार किया जिसके पास से नाजायज एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये। जिसका थाना पर मु.अ.सं. 236/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अपराधी का नाम पता-

1.- सुखसिंह पुत्र स्व.भैयालाल उम करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम धनगौल थाना बार जनपद ललितपुर

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका

अवैध असलाहा कारतूस रखकर आम जनता एवं आसपास के क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त कर लोगों को डराना

अभियुक्त से बरामदगी -

एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु.अ.सं. 237/2003 धारा 324/323/504/506 आईपीसी
2. मु.अ.सं. 610/10 धारा 110 जाफौ.
3. मु.अ.सं. 511/10 धारा 110 जाफौ.
4. मु.अ.सं. 82/13 धारा 110 जाफौ.
5. मु.अ.सं. 236/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

टीम के अधि./कर्म.गण -

- 1.अंजनी कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना बार
- 2.उ.नि.सन्दीप कुमार सिंह
- 3.हे.का.पूरनलाल
- 4 का कान्ता प्रसाद



रक्षा बंधु दिवस - 12 अक्टूबर
1947 को भारत का स्वतंत्र होना
12 अक्टूबर 1947 को भारत का स्वतंत्र होना
12 अक्टूबर 1947 को भारत का स्वतंत्र होना

12 अक्टूबर 1947 को भारत का स्वतंत्र होना
12 अक्टूबर 1947 को भारत का स्वतंत्र होना
12 अक्टूबर 1947 को भारत का स्वतंत्र होना

